

भाग - III

संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है।

1	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) ? यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
2	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग 'ख' दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है ?	सहमत है।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	संभागीय प्रबंधक, म०प्र० रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन जबलपुर द्वारा मण्डला जिले के अंतर्गत ए०डी०बी०-VI/VII योजनांतर्गत स्वीकृत पदमी-रामनगर -घुघरी-सलवाह मार्ग की कुल लंबाई 51.342 कि०मी० के उन्नयन कार्य में पूर्व सामान्य वनमण्डल मण्डला के 5.44 हे० वनभूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रकरण में वनमण्डलाधिकारी, पूर्व सामान्य वन मण्डल, मण्डला द्वारा अनुशंसा की गयी है। आवेदक विभाग को 5.44 हे० वनक्षेत्र व्यपवर्तित करने की अनुशंसा इस शर्त पर की जाती है कि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त राजस्व भूमि से अतिक्रमण हटाया जाकर वृक्षारोपण हेतु भूमि आवेदक विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाये।

दिनांक :- /06/2022

स्थान :- जबलपुर

(कमल अरोरा, भा०व०से०)

वन संरक्षक

मध्यवृत्त जबलपुर

27/6/22